

न्यायालय-अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-३, आजमगढ़

UPAZ010105932022



अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या-५२७१/२०२२

१. श्रीमती लक्ष्मी सिंह उम्र लगभग ४६ वर्ष पेशा गृहणी पत्नी दिलबहादुर सिंह उर्फ दिलेर सिंह
२. दिलबहादुर उर्फ दिलेर सिंह आयु लगभग ५० वर्ष पेश कृषि, पुत्र स्व० राजकुमार सिंह निवासीगण ग्राम देवखरी थाना कन्धरापुर, जिला आजमगढ़
३. गजेन्द्र सिंह उम्र लगभग २९ वर्ष पेशा -व्यवसाय, पुत्र हरेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम डुमराँव, थाना सराय लखंसी, जिला मऊ।
४. अजीत सिंह उम्र लगभग २९ वर्ष पेशा नौकरी पुत्र छुट्टन सिंह उर्फ नन्द कुमार सिंह, निवासी देवखरी, थाना कन्धरापुर, जिला आजमगढ़

.....आवेदक/अभियुक्तगण

बनाम

उ०प्र० सरकार

.....विपक्षी

अपराध संख्या-१४५/२०२२

धारा-४१९, ४२०, ४६७, ४६८, ४७१, ५०४ व

५०६ भा०दं०सं०

थाना-कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़

दिनांक १९.०१.२०२३

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पेश हुआ। अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित हैं। जमानत प्रार्थना पत्र पर बल न देने का पृष्ठांकन अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया।

चूँकि आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर बल नहीं दिया जा रहा है। अतः अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर बल न दिये जाने के कारण निरस्त होने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र बल न दिये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

दिनांक १९.०१.२०२३

(ओम प्रकाश वर्मा-III)

J.O.Code U.P. 6142

अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०-३, आजमगढ़